न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–387/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00391)

1. शंकर सिह पुत्र मदन सिंह, उम्र 69 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लोरडी तहसील मौजमाबाद हाल निवासी शिवगढ, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रघुराज सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र–75 वर्ष जाति राजपूत निवासी लोरड़ी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 22.07.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 04.07.2018 प्रकरण संख्या 59/2016 (13/18) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2018 एकपक्षीय अवैधानिक एवं रूयेदाद मिसल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही तथा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 04.07.2018 को अपनी मनमर्जी से अवैध निर्णय पारित कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है जो कतई अवैधानिक होने से खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ग्राम लोरडी के एक मौजीज व्यक्ति है जबकि मिन रेस्पोडेन्ट एक लडाकू एवं झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जो अपने धनबल एवं भुजबल के दुरूपयोग आधार पर अपीलान्ट को सदैव हैरान–परेशान करता आ रहा है तथा अपनी राजनीतिक पहूँच का अनुचित दवाब डलवाकर अपनी मजमर्जी करता आ रहा है जिसका प्रभाव अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2018 को देखने मात्र से ही स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट रघुराज सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में जो तरमीम प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत यह कहते हुए पेश किया था कि वाके ग्राम लोरडी तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 154 रकबा 020 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 155 रकबा 4.35 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.53 हैक्टयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 98/1 मिन है, राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा उसके लगवा उत्तर दिशा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

की ओर अपीलान्ट जिसके खसरा नम्बर 147, 148 व 156 स्थित है, रेस्पोडेन्ट की आराजीयात का कुल रकबा 4.55 हैक्टयर है जबकि मौके पर 4.15 हैक्टयर है अर्थात 0.40 हैक्टयर भूमि कम है सैटलमेन्ट कर्मियों ने अपीलान्ट की भूमि दौराने सैटलमेन्ट नक्शे में कम कर दी है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि बढा दी है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जावें। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र तरमीम स्वयं की उपस्थिति में दिनांक 11.05.2017 को कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2017 मुकाम ग्राम पंचायत धमाणा में खारिज होने के बाद एक मियाद बाहर रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2017 को प्रस्तुत कर तलबी जारी की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया तथा अपीलान्ट को आगामी तारीख पेश प्रदान की गई किन्तु रेस्पोडेन्ट जो कि एक बेहद शातिर किस्म का व्यक्ति है ने कर्मचारियों से साज कर उक्त पत्रावली को मिस प्लेस करवा दी तथा अपीलान्ट के बार–बार अनुरोध करने पर भी न तो पत्रावली बतायी तथा ना ही उसमें होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया जो दिनांक 10.01.2018 को रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्वतः ही साबित होता है, कुछ समय पश्चात् अपीलान्ट ने पुनः उक्त प्रकरण के बाबत जानकारी चाही तो रीडर ने विश्वास देकर कहा कि अब जुलाई में कैम्प खत्म होने के बाद ही तुम्हारी पत्रावली को तलाश कर तुम्हे तारीख पेशी देंगे तब अपीलान्ट ने माह जुलाई में कई बार सम्पर्क किया तो उन्होने कहा कि तुम्हारी पत्रावली ढूंढ रहे है मिलते ही तुम्हे बता देंगं किन्तु अक्टूबर माह तक भी पत्रावली नही मिलने पर जब अपीलान्ट ने पीठासीन अधिकारी से इस बाबत शिकायत की तो उन्होने कहा कि आपके मुकदमें का तो फैसला दिनांक 04.07.2018 को ही हो गया तब अपीलान्ट ने उसी दिनांक 12.10.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त की जिससे उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं समस्त फर्जकारी कार्यवाही की जानकारी हुई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय दिनांक 04.07.2018 स्वतः ही स्वयं में संशयप्रद प्रतीत होता है चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र तहसीलदार मौजमाबाद की जिस रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 के आधार पर अपना उक्त निर्णय पारित किया है उसी रिपोर्ट के बाद ही दिनांक 11.05.2017 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र तरमीम खारिज किया था, इस प्रकार एक ही न्यायालय के द्वारा पूर्णतय भिन्न निर्णय अपने आप में संशय उत्पन्न करते है इसके अतिरिक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र की आदेशिका दिनांक 30.04.18 से दिनांक 04.07.2018 को देखने से भी वे सब मेन्यूप्लेट (आफट्र थोट) प्रतीत होती है जिससे भी अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2018 को पारित करने से पूर्व स्व–विवेक का उपयोग कतई नही किया अर्थात पीठासीन अधिकारी ने न तो मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब करवायी, न ही पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, केवल मात्र तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 05.10.2016 को एकमात्र आधार मानकर ही उक्त अवैधानिक निर्णय पारित किया है जबकि तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के मद संख्या 5 मे स्पष्ट अंकित किया है कि ''हाल

P.T.O.

सेटलमेन्ट से पूर्व सेटलमेन्ट के साबिक नक्शे की प्रति उपलब्ध नही है।'' जिससे यह पूर्णतया साबित हो जाता है कि तहसीलदार ने बिना पूर्व राजस्व नक्शें से मिलान किये ही वर्तमान नक्शे को देखकर ही अपनी मनमर्जी से बनायी गई पटवारी हल्का की तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर रकबा बरारी कर अपीलान्ट के खसरा नम्बरान 147, 148, 156, का रकबा 0.13 हैक्टयर भूमि अधिक होना बताया है जबकि रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 154 व 155 का रकबा 0.33 हैक्टयर कम होना बताया है जबकि तहसीलदार द्वारा उक्त तथाकथित रिपोर्ट पटवारी हल्का किस दिनांक की है, न तो अंकित की है, न ही संलग्न रिपोर्ट है जो कतई विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने येाग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन सम्बन्धी आदेश देने से पूर्व पीठासीन अधिकारी को सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन करना चाहिये था तथा विधिक रूप से अपीलान्ट को भी साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था किन्तु न तो पीठासीन अधिकारी ने विवादित भूमि के सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया, न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया अपितू उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी भी नही होने दी जिससे भी अपीलाधीन निर्णय कतई विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने बाबत अपनी सहमति दी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 17.01.2017 को पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट इन्तजार होकर दिनांक 23.01.2017 को पेश होने के आदेश हुए है, तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 23.01.2017 को पेश ना होकर सीधे ही दिनांक 20.02.2017 को पेश हुई, इसी प्रकार दिनांक 12.04.17 को तहसीलदार की तलबी होकर पत्रावली दिनांक 26.04.2017 को पेश होने बाबत आदेश हुऐ और पुनः पत्रावली दिनांक 26.04.2017 को पेश ना होकर सीधे ही दिनांक 11.05.17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट धमाणा में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पेश होकर निर्णित हुई है जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये ही आदेश दिनांक 11.05.17 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तत्पश्चात् उन्ही पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2018 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2018 एवं आदेश दिनांक 11.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।